


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्री गजेन्द्र कोटेसा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य राउमावि, नवारा, सिरौही, तत्कालीन व्याख्याता जीव विज्ञान का उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा, सिरौही के पत्र क्रमांक सीबीईओ/सिरौही/संस्था/2020/357 दिनांक 22.10.2020 व पत्रांक 370 दिनांक 25.11.2020 द्वारा स्पष्ट अभिशंका एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी की टिप्पणी उपरान्त निम्नानुसार अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


क्र.सं.	अवकाश का प्रकार	अवधि	दिवस	वि.वि.
01	असाधारण अवकाश (बिना मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर)	10.07.2002 से 20.07.2002 तक	11 दिवस	RSR-96
02	अर्द्ध वेतनिक अवकाश	21.07.2002 से 02.10.2002 तक	74 दिवस	RSR-93
03	अदेय अवकाश	03.10.2002 से 31.12.2002 तक	90 दिवस	RSR-93(3)
04	असाधारण अवकाश (बिना मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर)	01.01.2003 से 14.01.2003 तक	14 दिवस	RSR-96

उक्त अवकाश स्वीकृति की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुरतिका में अवश्य इन्द्राज करें। उक्त कार्मिक अपना वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम-93, नियम-93(3) एवं नियम-96 के अन्तर्गत प्राप्त करेंगे।


(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-4/वेतन-व्यवस्था/2019-20 दिनांक:- 25/11/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित प्राधानाचार्य.....
5. संबंधित कार्मिक.....
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर